



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9663

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 267 सन् 2026

विंध्यवासिनी मिश्रा

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : गुंजन शर्मा, नमित कुमार शर्मा

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री नमित कुमार शर्मा और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार शुक्ला को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि याचिकाकर्ता के पिता जीप चालक के रूप में कार्यरत थे और 13.10.1996 से लापता होने के बाद याचिकाकर्ता को 19.09.2005 को अनुकंपा नियुक्ति दी गई। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसकी सेवाओं को पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत माना जाना चाहिए।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्ट्या तीसरे प्रत्यर्थी, जिला विकास अधिकारी, सोनभद्र द्वारा निर्णय किया जाना आवश्यक है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. उपरोक्त निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन तीसरे प्रत्यर्थी, जिला विकास अधिकारी, सोनभद्र के समक्ष **30.01.2026** तक प्रस्तुत करे। इसके बाद, तीसरे प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता के दावे पर तीन माह की अवधि के भीतर निर्णय लेंगे।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

14 जनवरी, 2026

राजेश